

कार्यालय कलेक्टर, जिला - बीजापुर, छत्तीसगढ़
अल्पकालिक द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना
(जिला निर्माण समिति)

निविदा क्र./74

बीजापुर, दिनांक 27 /12/2018

कलेक्टर, जिला बीजापुर की ओर से एन.एम.डी.सी., सी.एस.आर. मद अन्तर्गत स्वीकृत निम्नांकित कार्यों को जिला निर्माण समिति के माध्यम से छ.ग. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (CGRRDA) में 2018 से प्रचलित एस.ओ.आर. (रोड एवं ब्रिज निर्माण कार्य के लिए) दर प्रतिशत दर के आधार पर तथा लोक निर्माण विभाग में एकल पद्धति से पंजीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	कार्य की अनुमा. लागत रु.(ला. में)	अमानत राशि (रु.में)	टेंडर फार्म का मूल्य (रु.)	कार्य पूर्ण करने की समय सीमा
द्वितीय निविदा आमंत्रण (एन.एम.डी.सी., सी.एस.आर. मद अन्तर्गत)					
1	एन.एच.-63 से कोण्डोजी पहुँच मार्ग पर 3.00 किमी डामरीकृत सड़क निर्माण कार्य	150.00	112500.00	3000.00	12 माह वर्षा ऋतु सहित


महत्वपूर्ण निर्देश :-

- निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि - 10.01.2019 सायं 5.00 बजे तक
 निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 17.01.2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक
 निविदा खोलने की अंतिम तिथि - 17.01.2019 अपरान्ह 3.30 बजे तक
 ठेकेदारों की श्रेणी - सी- श्रेणी या उससे ऊपर

निविदा प्रपत्र कलेक्टर कार्यालय जिला निर्माण समिति शाखा बीजापुर में आवेदन के साथ ऊपर दर्शाये अनुसार निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कलेक्टर बीजापुर के नाम से एवं बीजापुर में देय हो या नगद राशि (जो वापसी योग्य नहीं है) एवं निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने के उपरांत उपरोक्तानुसार तिथि तक कार्यालयीन दिवसों में प्राप्त किया जा सकेगा।


- आयकर एवं वाणिज्यिक कर चुकता प्रमाण पत्र ।
- वैध बैंक साल्वेंसी।
- विगत तीन वर्षों से अनुबंधित समस्त पूर्ण अपूर्ण कार्यों की सूची।
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र ।

टीप :- निर्माण के संबंध में अन्य आवश्यक विशेष नियम व शर्तों की जानकारी वेबसाईट www.bijapur.gov.in पर उपलब्ध है।


 कलेक्टर
 जिला बीजापुर

न.एच.-63 से कोण्डोजी पहुँच मार्ग पर डामरीकृत सड़क निर्माण कार्य के संबंध में अन्य आवश्यक विशेष नियम व शर्तें

01. ठेकेदार द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम निविदा हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार हेतु निविदा लागत की सीमा के समान प्रकृति के निर्माण कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। जिसका प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र लेने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा प्रमाण पत्र संबंधित निर्माण एजेंसी के कार्यपालन अभियंता/अधिकारी का ही मान्य होगा।
02. निर्माण कार्य अनुबंध दिनांक से दिए गए समय सीमा के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
03. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि की संध्या 5.00 बजे तक या किसी भी कार्य दिवस में संबंधित में नियमानुसार भुगतान व उपरोक्त शर्तों के वैध प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही दिये जायेंगे। भरे गये सीलबंद निविदा प्रपत्र कार्यालय में रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.)/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक/समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा प्राप्त निविदायें निर्धारित समय पश्चात् उसी कार्यालयीन दिवस में अपराह्न 3.30 बजे खोली जायेगी। शासकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में खोली जा सकेगी।
04. खनिज रायल्टी का भुगतान स्वयं ठेकेदार को करना होगा। खनिज की निर्धारित मात्रा टेस्ट रिपोर्ट, भुगतान पूर्व प्रस्तुत करना होगा। बैंक साल्वेंसी नियमानुसार जो 12 माह से अधिक पुराना न हो प्रस्तुत करना होगा रायल्टी कटौती के अतिरिक्त अन्य लागू कटौतियां अनिवार्यतः की जावेगी।
05. निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार के पास हॉट मिक्स प्लांट एवं पेवर मशीन अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
06. ठेकेदार द्वारा एस.ओ.आर. से असंतुलित दर भरे जाने की स्थिति में अनुबंध के पूर्व अंतर की राशि विभाग नियमावली 1983 की पैरा 2.079 अनुसार एफ.डी.आर के रूप कलेक्टर, जिला बीजापुर के पास जमा करना होगा।
07. ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य यदि एक वर्ष के पूर्व खराब होता है तो, किए गए कार्य की लागत वसूली योग्य होगी। उक्त खराब कार्य ठेकेदार को पुनः उसके व्यय पर कराना होगा।
08. जिला निर्माण समिति के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार/निरस्त कर सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला बीजापुर का निर्णय मान्य होगा।
09. धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य की कार्यादेश जारी किया जा सकेगा।
10. पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि पृथक-पृथक लिफाफे में उपरोक्तानुसार तिथि तक पंजीकृत पावतीयुक्त या स्पीड पोस्ट से प्राप्त किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदा उपरोक्तानुसार तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।


कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला निर्माण समिति
जिला बीजापुर